कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

दिनांक 30-03-2021

बैठक कार्यवृत्त दिनांक 30-03-2021

दिनांक 30-03-2021 को सायं 5.00 बजे स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 की समीक्षा बाबत आयोजित बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही ;-

1- श्री विकास सोलंकी उपायुक्त नगर पालिक निगम-रतलाम,
2- श्री सुरेशचन्द्र व्यास-प्र0कार्यपालन यंत्री,
3- श्री जी.के. जायसवाल-प्र0कार्यपालन यंत्री,
4- श्री सत्यप्रकाश आचार्य, प्र0जल प्रदाय वि0,
5- श्री अनवर कुरैशी - प्र0सहायक यंत्री,
6- श्री ए.पी.सिंह प्र0 स्वच्छता अधिकारी,
7- श्री एम.के. जैन - प्र0सहायक यंत्री,
8- श्री अरविंद दशोत्तर - ,,
9- श्री जसवन्त जोशी - प्र0सचिव,
10- श्री रामचन्द्र शर्मा - प्र0कार्यालय अधीक्षक,
11- श्री बी.एल. चावरे प्रधानमंत्री आवास योजना/ज0प्र0,
12- श्री सुहास पंडित - उप यंत्री,
13- श्री भैयालाल चौधरी ,,
14- श्री राजेश पाटीदार ,,
15- श्री विकास सिंह मरकाम ,,
16- सुश्री दीक्षा निजामपुरकर ,,
17- श्रीमती अनिता ठाकुर ,,
18- श्री प्रतीक मिश्रा - kpmg piu,
19- श्री नितिन तिवारी, सिटी मिशन मैनेजर, एनयुएलएम,
20- श्री कपिल तिवारी, ,, ,,
21- श्री धर्मेन्द्र दोगाया-उद्यान पर्यवेक्षक,
22- श्री अनिल पारा - ,, ,,
23- श्री विजय कपूर-सहा.राजस्व निरीक्षक,
24- श्री वासुदेव बैरागी - समयपाल,
25- श्रीमती मौनिका चौहान-उप स्वच्छता पर्यवेक्षक,
26- श्री जय उपाध्याय ,,
27- श्री तरूण राठोड़ ,,
28- श्री आशीष चौहान ,,
29- श्री नवीन बैरागी, सा.प्र.,
30- श्री राहुलसिंह राठौर-आईईसी आस्था संस्था,

रतलाम शहर को नम्बर 01 बनाने के लिए निरन्तर काम करने हेतु सभी वार्डो से से डोर टू डोर सम्पूर्ण कचरा कलेक्शन करवाने, कचरा गाड़ी का समय पर वार्ड में पहुंचना, कचरे का सेग्रीग्रेशन होना, नाले-नालियों की सफाई करवाये जाने व नाली में जाली लगवाना एवं रात्रिकालीन सफाई करायी जाए। साथ ही गाड़ी के साथ आईईसी सदस्य, एस.एच.जी. को रखे जाने बाबत प्र0स्वच्छता अधिकारी को निर्देश दिये गए।

Scanned with CamScanner

बैठक में चर्चा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1— सभी वार्डों के पर्यवेक्षक से जानकारी लेने पर यह ज्ञात हुआ कि कई वाहन पर एस.एच.जी. के सदस्य नहीं पहूंच रहे हैं। अतः इस हेतु श्री राहुलसिंह राठौर सदस्य आईईसी आस्था संस्था को निर्देश दिये गए कि वे आस्था संस्था के प्रमुख श्री विजय गुप्ता को अवगत करायें कि प्रति वार्ड में छोटे वार्ड में एक वाहन पर एक सदस्य व बड़े वार्ड 02 वाहन पर 02 सदस्य इस प्रकार 70—80 सदस्य की आवश्यकता शहर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत रहती है, अतः आगामी सप्ताह में दिनांक 01 अप्रैल 2021 से कम से कम 70—80 आईईसी सदस्य निकाय में उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जावे ताकि स्वच्छ भारत मिशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करवाया जा सके, अन्यथा की स्थिति में इस संबंध में आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

2— मानीटरिंग अन्तर्गत लगे वार्ड पर्यवेक्षक द्वारा वार्ड की व्यवस्था से अवगत कराया गया। इसके अन्तर्गत आने वाली समस्या के लिए प्र0स्वच्छता अधिकारी, प्र0 स्वच्छता निरीक्षक को अवगत कराकर उसका निदान कराने बाबत निर्देश दिये गए

3— किस—किस वार्ड का कचरा कौन—कौन से स्थल/ट्रांसफर स्टेशन पर जा रहा है बाबत जानकारी ली गई व इस संबंध में पर्यवेक्षक/प्र0स्वच्छता अधिकारी व प्र0स्वच्छता निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया।

4— इसी प्रकार कचरा कलेक्शन वाहन पर रैगपिकर्स की उपलब्धता बनाये रखना भी सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु श्री नितिन तिवारी सिटी मिशन मैनेजर व प्र0स्वच्छता अधिकारी को निर्देश दिये गये ।

5— मेन्युअली जिन नालों की सफाई हो सकती है की मैन्युअली सफाई करवायी जाय व जहां छोटे नाले—नालियों के यहां बड़ी जे.सी.बी. मशीन नहीं जा सकती, वहां पर छोटी मशीन भेजी जाकर उक्त नाले—नालियों की सफाई करवायी जाए। साथ ही पेड़—पौधों के गड्ढे खोदने आदि में भी इसका उपयोग किया जाय ।

6— नाले—नालियों, सड़कों व उद्यानों आदि की विशेष रूप से सफाई करवायी जाय। यदि उद्यानों की सफाई नहीं करवायी हो तो इसे अब देख लिया जाये । पेंडिंग को देख लें, सिलेक्ट कर लें व करवा लें ।

7— नालियों की सफाई इस तरह से हो जाय कि जैसे जंगल के नाले में साफ पानी बहता है वह स्टेटस नालियों की सफाई के बाद आना चाहिए ।

Scanned with CamScanner

8-- शहर में जिन स्थल पर डस्ट बिन लगाये जाने की आवश्यकता हो वहां पर डस्ट बिन लगाये जावें ।

9-- अपने-अपने वार्ड में 02 उत्कृष्ट स्थान बनाना यह देख लें कि यह हो गया है

अथवा नहीं व यदि इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो इसे देख लें व कार्य करवायें।

रहेंगे । इसमें यह सुनिश्चित किया जावे कि हर घर से कचरा कलेक्शन 100 प्रतिशत किया

जाय तथा कचरे का सेग्रीग्रेशन किया जावे ।

अभियान चलाने तथा संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग किया जाय तथा इस सम्बन्ध

10-- कचरा संग्रहण वाहन के साथ रैगपिकर्स, आईइसी आस्था संस्था के सदस्य व संबंधित वार्ड के वार्ड प्रभारी, वार्ड की मानीटरिंग हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक एवं वार्ड के उप यंत्री

11-- सारे लोगों को अलग-अलग कचरा लाने के लिए प्रेरित किया जाय।

12-- प्रति दिन 2 घरों से कचरा लेते हुए, उनको समझाईश देते हुए, चर्चा करते हुए का

रिकॉर्ड रखा जाए व जिसमें दो लोगों में 01 समझदार व 01 नागरिक हो ।

13-- शहर में स्थित मुख्य पाइप लाइन लीकेजेस की दुरूस्ती करवायी जाए व सड़कों पर सीवरेज के गड्ढों की दुरूस्ती करायी जावे।

14-- सड़क पर C&D के मलवा को उठवाये जाने हेतु टीम लगाकर कार्य करवाया जावे एवं C&D सेंटर में उसका दुबारा उपयोग करने हेतु पृथक किया जाए ।।

15-- कचरा संग्रहण में 100 प्रतिशत सेग्रीग्रेटेड कचरा लिया जाकर इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट दी जावे। आस्था आईईसी संस्था के सदस्यों द्वारा इस हेतु प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को जागरूक किया जाए।

16-- जो दुकानदार 50 माइक्रान से कम मोटाई का पॉलीथिन रखते हैं उनके भंडारण को जप्त किया जाकर उन पर स्पाट फाईन की कार्यवाही की जावे तथा स्पाट फाईन की कार्यवाही की जावे।

17-- नागरिकों को बताया जाय कि यदि कोई खुले में कचरा डाल रहा है तो उसका वीडियो डाल दें कि किस लोकेशन पर वह खुले में कचरा फेंक रहा है व उस पर कार्यवाही होगी तो उक्त कचरा फेंकना बंद हो जाएगा। लोगों को बताया जाए कि कोई खुले में कचरा फेंकता है तो निगमायुक्त के मोबाईल नम्बर 9644000400 पर उक्त वीडियो डाल दें।

18-- कोरोना संक्रमण से बचाव करने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, रोको टोको

Scanned with CamScanner

में स्पाट फाईन वाली टीम की गाड़ी से प्रचार किया जाए तथा जो मास्क नहीं पहने हों पर रू0 100/– का स्पाट फाईन किया जाये।

19– खाली प्लाट आदि पर कचरा फेंकने की समस्या होने पर क्षेत्रीय रहवासियों को बताया जाय कि जो कोई वहां कचरा फेंकता हो उसका फोटो/वीडियो निगमायुक्त के मोबाईल नंबर 9644000400 पर भेजें । इसमें संबंधित का नाम गोपनीय रखा जावेगा ।

20– सीटी/पीटी में क्या कार्य करवाया जाना है को देखा जाकर के उसका कार्य करवाया जावे ।

21– वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा वार्ड के नियमित कार्य के साथ वार्ड में जो बेस्ट पाइन्ट (सड़क / उद्यान) है को भी उनके द्वारा देखा जाकर इसके कार्य पर भी ध्यान दिया जावे ।

22– रतलाम शहर को नंबर 01 बनाने हेतु तत्परता से कार्य किया जाए। साथ ही चमारिया नाका के यहां पर स्थित स्लम बस्ती के यहां रंग–रोगन का कार्य करवा दिया जाय । साथ ही स्लम बस्ती रंग–रौगन के पूर्व कैसे दिखती थी व रंग रौगन के बाद कैसे दिखती है का फोटोग्राफ लिया जाय ।

23– इसी प्रकार कोई कार्य के संबंध में कार्य होने से पूर्व की स्थिति व कार्य होने के बाद की स्थिति का अलग–अलग फोटोग्राफ लिया जाकर उसे रिकॉर्ड में लिया जाय। साईड फोटोग्राफ साथ में लिया जाए ताकि उसकी लोकेशन आ जाय । साथ ही उक्त कार्य से कितने लोग लाभान्वित होंगे यह देखा जाय चाहै वह सड़क, सिविल वर्क हो या अन्य कोई कार्य।

24– शहर के 49 वार्ड के सेग्रीग्रेटेड/जीरो वेस्ट वार्ड होने पर स्वच्छता महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 31–03–2021 को प्रति वार्ड 20–25 की संख्या के मान से 49 वार्ड में 1001 रंगोली बनायी जाय। यह रंगोली प्रातः सफाई होने के बाद सुबह 8.00 बजे से सभी वार्ड में एक साथ बनायी जाय जो वार्ड के प्रमुख चौराहों/तिराहों, जहां से ज्यादा लोगों का आवागमन होता है वहां, कचरा मुक्त स्थान, शासकीय व निजी हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल, महापुरूषों की प्रतिमा, वाटर बाडी, नलकूप व हेंडपंप, आंगनवाड़ी केन्द, मंदिर तथा कार्यालयों के यहां पर बनायी जाय । जिसमें स्वच्छता, सेग्रीगेशन, स्वास्थ्य, समृ' रतलाम, नमकीन क्लस्स्टर, साड़ी क्लस्टर, स्वच्छता का जादूगर, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध आदि को भी लिया जा सकता है । इसमें स्वच्छता के प्रति संदेश हो, इससे पूरे शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागृति पैदा होगी । इस हेतु वार्डो के सभी नोडल अधिकारी/सुपरवाईजर

Scanned with CamScanner

व वार्ड प्रभारी आदि को मिल करके 1001 स्थानों पर रंगोली बनवायी जाय । यह चमत्कारिक प्रक्रिया है, कचरा साफ करने की जवाबदारी से स्वच्छ मानसिकता को मजबूत करना है । इस हेतु श्री अनिल पांचाल पत्रकार के मोबाईल नंबर 9229575956 है ।

साथ ही इसके बाद परसों दिनांक 01–04–2021 को भी उक्तानुसार रंगोली का कार्य कराया जावेगा ।

25– कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोविड–19 के अन्तर्गत सेकन्ड फेज (द्वितीय पारी) में कोविड वेक्सीनेशन सभी विभागों के कर्मचारी विहित केन्द्र पर जाकर के करवा लें इस हेतु सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ स्टाफ को इस हेतु निर्देशित कर 100 प्रतिशत वेक्सीनेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

26– होम कम्पोस्ट का कार्य वार्डवाईज करवाया जावे ।

उक्तानुसार तथा पूर्व बैठक में दिये गए निर्देशों बाबत एवं समक्ष में दिये गए अन्य निर्देशों के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा उक्त कार्यवृत को निगम वेबसाईट पर अपलोड किया जावे ।

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

पृ0क्र0/520/24/नि.स./2021, रतलाम, दिनांक 31–03–2021.

प्रतिलिपि,

1– कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम–रतलाम की ओर अवलोकनार्थ।

2– समस्त विभाग प्रमुख, नगरपालिक निगम–रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त 31/03/21
नगर पालिक निगम रतलाम

Scanned with CamScanner